विचार बिन्दु

बदला लेने और प्रेम करने में नारी, पुरुष से आगे होती है। –नित्शे

क्या राजस्थानी एक भाषा है और उसे संविधान की आठवीं सूची में लाने का कोई औचित्य है?

जयपुर में दिनांक 22 फरवरी, 2025 को बुक फेयर में राजस्थानी भाषा आठवीं अनुसूची और चुनौती विषय पर चर्चा हुई। विषय के विशेषज्ञ पद्मश्री सी पी देवल ने अपने विचार रखे। कवि एवं लेखक श्री सी पी देवल ने कहा कि राजस्थानी भाषा नहीं संस्कृति है धरोहर है। उन्होंने श्रोताओं का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सन् 2003 में राजस्थान विधानसभा में सर्व सम्मति से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा, लेकिन इसका जवाब भी नहीं दिया गया। उनका कहना था कि राजस्थानियों को राजस्थानी भाषा बोलने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करना चाहिये। श्री देवल ने सही कहा कि विभिन्न राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है और उनकी भाषा को मान्यता प्राप्त कर उस भाषा को सम्मान दिया गया, लेकिन राजस्थानी को मान्यता नहीं दी गई। (यह कथन राजस्थान पत्रिका (माय सिटी) के पृष्ठ 10 पर, जयपुर रविवार 23 फरवरी 2025 के अंक में प्रकाशित हुआ है)। एक अन्य समाचार पृष्ठ 12 पर पढ़ने को मिला है, उसका सम्बन्ध विश्व मातृभाषा दिवस पर मारवाडी इन्टरनेशनल फेडरेशन की ओर से आयोजित कार्यशाला से है। कार्यशाला में यह प्रस्ताव पारित हुआ है राजस्थानी भाषा को प्रदेश की राज्य भाषा का दर्जा दिलाने एवं राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिये देश प्रदेश के विभिन्न प्रतिनिधियों को ज्ञापन भेजा जावेगा।

राजस्थान हिन्दी भाषी राज्य है। यह देश का प्रथम राज्य रहा है, जहां यह घोषणा की गई थी कि उच्च न्यायालय का कार्य हिन्दी में होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेन्स, 1948 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। चूंकि 26.1.1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, अतः यह प्रावधान अप्रभावी हो गया। कुछ समय से यह आवाज उठाई जा रही है कि राजस्थानी को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जावे।

राजस्थान मातृभाषा वासते महाराजा गजसिंहजी ने एक अपील निकाली और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की चर्चा से, देश में भाषाई विवाद की राजनीति गर्म हो उठी। राजस्थान विधान सभा ने दिनांक 25.08.2003 को यथा ब्रज, ढूँढाडी, मारवाडी, मेवाडी, बागडी, हाडौती, शेखावाटी आदि को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने का एक संकल्प पारित कर दिया। प्रश्न है क्या हिन्दी जो राज्य भाषा है राष्ट्रभाषा है, उसके विकल्प में राजस्थानी को जो वस्तुतः बोलियों का एक समूह है उसे उपभाषा बनाया जावे और हिन्दी को अपने स्थान से पदच्यूत किया जावे। संकल्प पारित करने वालों ने स्पष्ट किया कि राजस्थानी से उनका अभिप्राय राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों से है जिनका उल्लेख दिनांक 25.08.2003 के संकल्प पत्र में दिया है।

भाषायी सर्वेक्षण 1914 एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, जिसमें राजपूताना की तत्कालीन रियासतों में बोली जाने वाली बोलियों के नाम दिये हैं, किन्तु उनमें राजस्थानी नाम की कोई बोली का नाम नहीं है। वस्तुतः 1947 से पूर्व राजस्थान राज्य का प्रयोग रियासतों के समूह के रूप में कभी भी नहीं किया गया। रियासतों के समूह का नाम था राजपूताना। राजस्थान के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली बोलियों को सामूहिक रूप से राजस्थानी नाम दिया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि इन बोलियों में कई बोलियों का अपना साहित्य हो सकता है किन्तु ये बोलियां कुछ जिलों में ही बोली जाती हैं। मारवाडी केवल 5 जिलों में बोली जाती है हाडौती केवल कोटा, बूंदी, झालावाड की बोलियां थीं। राजपूताने की रियासतों में हिन्दी पढ़ाई जाति थी। बोलियां कभी शिक्षा की भाषा नहीं थी अर्थात् हिन्दी ही शिक्षा दीक्षा की भाषा थी। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखण्ड व उत्तरांचल विधिवत घोषित हिन्दी भाषाई राज्य हैं। स्पष्ट है राजपूताने की रियासतों में पहली क्लास से हिन्दी पढ़ाई जाती थी। दसवीं कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु राजपूताना बोर्ड था। हिन्दी मातृभाषा थी और आज भी है। संविधान की आठवीं सूची में इसी कारण हिन्दी का उल्लेख है। समूचे भारत में हिन्दी बोली व समझी जाती है।

गांधी का सूत्र वाक्य था कोई भी देश सच्चे अर्थों में जब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता, यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बनेगी। गांधी ने कहा था कि मेरे लिये हिन्दी का प्रश्न तो स्वराज्य का प्रश्न है यही कारण था भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिन्दी होगी यह घोषणा की है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार में, किसी भी अन्य देश में विदेश भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती।

आजादी के बाद संविधान बनाने के हेतु एक संविधान निर्मात्री असेम्बली 29.8.1947 को गठित की गई थी, जिसने फरवरी 1948 को ड्राफ्ट बनाकर दिया। इस पर चर्चा हुई। 26 नवम्बर 1949 को लगभग 300 सुझावों पर चर्चा के पश्चात् संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26.01.1950 को संविधान लागू हुआ। 14 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया। संविधान के भाग-XVII के चेप्टर-I में राजभाषा सम्बन्धित विषय है। इस संबंध में निम्नलिखित विचार काफी प्रासंगिक है:–

लेखक का सभी विद्वानों से अनुरोध है कि वे राजस्थानी को अर्थात् राजस्थान में बोलने वाली बोलियों को यानी मारवाडी, ब्रज, हाडौती, बागडी, ढूंढाडी आदि को हिन्दी का विकल्प बनाने का कोई प्रयत्न न करें। यह राष्ट्रभाषा व संविधान का अपमान होगा और इसका कोई लाभ हिन्दी भाषी लोगों को नहीं होगा।

"हम सबने जो अन्तिम निर्णय लिया है वह है कि हमने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। राजकीय आयोजन हेतु इसका प्रयोग होगा। हमने लक्ष्य प्राप्त किया है तो हमें अंग्रेजी को जिसे हमने अपनाया था उसे विदाई देनी होगी। हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर अंगीकार करने का कार्य हमने किया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने का हमारा निर्णय महत्वपूर्ण है।"

संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की भाषा क्या होगी, कानून बनाकर उसे घोषित करना था। सभी राज्यों के अपने अपने कानून हैं। राजस्थान की राजभाषा राजस्थान भाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी है। संविधान के अनुसार भारत में केवल वे भारतीय भाषायें ही प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जिनका उल्लेख आठवीं अनुसूची में दिया है। वर्तमान में ऐसी भाषायें 22 हैं। इसमें अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी भारत के लोगों की मातृभाषा नहीं है। प्रत्येक राज्य की राजभाषा एक होती है, जो वहां सबसे अधिक बोली व समझी जाती है। राज्य बडा हो, वहां 2 भाषायें काम में आती हों तो वहां 2 राजभाषा हो सकती हैं।

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 के माध्यम से घोषणा की है कि संघ (राष्ट्र) की राजभाषा हिन्दी व लिपि देवनागरी होगी। संविधान में दी व्यवस्था के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि में शासकीय प्रयोजन के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना था। यह व्यवस्था थी कि 15 वर्ष की अवधि के बाद संसद चाहे तो कानून बनाकर अंग्रेजी का प्रयोग कुछ विशिष्ट विषयों तक सीमित कर सकता है। यहां संसद ने कोई कानून इस हेतु नहीं बनाया है और इतना ही नहीं, अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत् ही होता रहा। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 120 पर विचार करें तो उससे यह स्पष्ट होगा कि यदि कोई सांसद अपनी बात को अंग्रेजी में सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सके तो उसे उसकी मातृभाषा में अभिव्यक्त करने की अनुमति स्पीकर दे सकता है। साथ ही अनुच्छेद 120 की उपधारा (2) में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, यह प्रावधान ऐसे प्रभावी होगा मानो शब्द 'Or In English' का प्रयोग उसमें से विलोप कर दिया गया है। अतः ऐसा न किये जाने के फलस्वरूप, अब अंग्रेजी का प्रयोग नहीं हो सकता। यह ध्यान में रखना होगा कि विधान सभा की कार्यवाही में भी इसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 210 में दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन स्थिति को स्पष्ट करते हुये यह घोषणा करता है कि हिन्दी स्वतः देश की राजभाषा हो चुकी है।

तामिलनाडू में हिन्दी का विरोध एक राजनीतिक घटना है। दक्षिणी राज्यों में त्रिभाषा का फार्मूला लागू करने के हेतु एक व्यावहारिक कदम उठाना चाहिये। हिन्दी जन-जन की भाषा है।

संविधान के भाग XVII व चेप्टर I व II के पढने मात्र से स्पष्ट होगा कि हिन्दी भारत की राजभाषा है। आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को जोडने के हेतु संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। आजादी के बाद भारत का पुनर्गठन प्रान्तों के रूप में भाषा के आधार पर हुआ था। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 व अनुच्छेद 351 से स्पष्ट होगा कि हिन्दी को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया गया है। भारत की बडी आबादी हिन्दी बोलती है, समझती है। हिन्दी भारत के अतिरिक्त फिजी, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, मारिशस, गुयाना, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, यूकांडा, सूरीनाम, मिनिदाड, टोबैगा आदि देशों में बोली जाती है। संविधान की प्रक्रिया के अनुसार 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी राष्ट्र भाषा हो चुकी है। अजीब हमारा देश है, जहां राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय पक्षी पर ऑन रेकार्ड इसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा आयोग ने आठवीं अनुसूची की भाषाओं से हिन्दी के शब्दकोश को समृद्ध किया था। वस्तुतः दिनांक 26.01.1965 के बाद आठवीं सूची का अभिप्राय समाप्त हो चुका है।

राजस्थान में बोलने वाली बोलियों को समझने वाले व्यक्ति ही अब नहीं के बराबर हैं। लेखक ने लगभग 70-80 व्यक्तियों के परिवार में जिनका संबंध कोटा से रहा है, उनमें उनके अतिरिक्त हाडौती बोली बोलने व समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। राज्य में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है, जबकि गांधी ने तो सन् 1918 ही में हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने का दावा किया था।

लेखक का सभी विद्वानों से अनुरोध है कि वे राजस्थानी को अर्थात् राजस्थान में बोलने वाली बोलियों को यानी मारवाडी, ब्रज, हाडौती, बागडी, ढूंढाडी आदि को हिन्दी का विकल्प बनाने का कोई प्रयत्न न करें। यह राष्ट्रभाषा व संविधान का अपमान होगा और इसका कोई लाभ हिन्दी भाषी लोगों को नहीं होगा। हम सब मिलकर केन्द्र पर दवाब बनायें कि हिन्दी में ही प्रशासकीय कार्य करें और हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रदान करें। राजस्थान हिन्दी भाषी राज्य है अतः हमारा कर्त्तव्य है कि हम इसे राष्ट्रभाषा के पद पर वास्तविक रूप से आसीन करें।

आइये हम सब राजस्थान के निवासी मिलकर राजस्थान की बोलियों के साहित्य को समृद्ध करें तथा बोलियों के शब्दों से हिन्दी को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनायें और हिन्दी को विश्व की भाषा बनाने में सहयोग प्रदान करें जिसकी वह अधिकारिणी है।

जय राष्ट्रभाषा हिन्दी!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को लेकर उठते विवादों का व चुनाव आयोग की साख का समाधान क्या

महावीर सिंह

कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र विधान सभा से लिए चुनाव हुए। कौन दल कितनी सीटे जीत सकता है, इस पर मतदान से पहले कयासबाजी व विभिन्न पोल सर्वे चलते रहे। जनता के सामने इन सर्वेज पर आधारित आंकडे परोसे जाते रहते है। इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम राजनीतिक दलों द्वारा या उनके साथ सहनुभूति रखने वाले व्यक्तियों, संगठनों द्वारा वित्तपोषित भी होते है।

ऐसे ओपिनियन पोल सर्वेज की निष्पक्षता पर संदेह होना लाजमी है। कुछ पोल-ओपीनियन सर्वेज कुछ अच्छे ख्याति प्राप्त प्रोफेशनल सर्वे संगठनों द्वारा भी किए जाते है जिनकी विश्वसनीयता कुछ ज्यादा होती है।

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में जैसे चुनाव परिणाम आए उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों को चौका दिया। चुनाव के आखरी चरण में, लाडकी बहन योजना के अंतर्गत जारी धनराशि के प्रभाव व अघाडी के दलों दलों की मन भिन्नता के चलते लोक मत महायुति की तरफ खिसकता तो नजर आने लग गया था किंतु महाविकास अघाडी की जैसी करारी हार हुई, उस की तो शायद ही किसी नें कल्पना की हो।महाविकास अघाडी को चुनाव की दृष्टि से महाविनाश का सामना करना पड़ा।

बड़ा प्रश्न यह है कि इन परिणामों के आने के बाद वोटिंग मशीनों की विश्वस्नीयत पर फिर बड़े पैमाने पर सवाल उठाए गए। ऐसा ही, शोलापुर जिले के एक गांव मर्करवाडी में हुआ। उसकी देखादेखी अन्य कुछ गांवों से भी ऐसी ही आवाज उठी।

मर्करवाडी ग्रामवासियों में से मुखर लोगों का मानना था कि यहां महायुति उम्मीदवार का एक भी मत नहीं था तो फिर उसे इतने अधिक मत मिले कैसे? उनके अनुसार गांव में जैसा माहौल उन्होंने देखा उसके अनुसार उस गांव में सारे मतदाता अघाडी के पक्ष में थे।

यहां प्रश्न यह उठता है कि--- मतदान गुप्त होता है, तो, यह इतने विश्वास से कैसे कहा जा सकता है कि कुछ मतदाताओं नें युति के उम्मीदवार को वोट दिया ही नहीं?? मतदान से पहले कुछ मतदाता खुल कर किसी पार्टी, उम्मीदवार का प्रचार करते है और कुछ शांत रहते है। ऐसे शान्त रहने वालों के मन की थाह का कैसे पता चला उन लोगों को जो इस प्रकार का मतदान करवाना चाहते थे?

अगर भिन्न-भिन्न दल मतदान केंद्र पर अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त करते है तो यह पहला सबूत है कि जिस पार्टी के पोलिंग एजेंट बैठे है, उस दल को कुछ मत तो जरूर मिले होंगे बशर्ते पोलिंग एजेंट नें ऐन मौके पर अपनी निष्ठा नहीं बदल ली हो। इसलिए प्रथम दृष्टया तो इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कोई इतने विश्वास से कहे कि किसी विशेष मतदान केंद्र पर किसी दल को कोई मत पडे ही नही।

यदि कोई मतदान केंद्र ऐसा हो भी कि उस पर एक दल के अलावा किसी ओर के लिए मत पड़ेंगे ही नहीं तो भी होशियार कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करते है कि कुछ मत अन्य उम्मीद्वारों को जरूर पडे ताकि पुनर्मतदान की मांग न उठे।

इसलिए चूंकि मतदान गोपनीय होता है, पोलिंग स्टेशन पर विभिन्न दलों, उम्मीदवारों के एजेंट्स के सामने होता है और पुलिस, प्रशासन की चाकचौबंद व्यवस्था होती है इसलिए मर्करवाड़ी के लोगों द्वारा उठाई आपत्ति, प्रथम दृष्टया सही तो नहीं लगती।

सवैधानिक संस्थाओं के लिए चुनाव संविधान व इसके लिए बने विधान के प्रावधानों के अनुसार होते है। इससे भिन्न कोई भी किसी भी प्रकार से लोक सभा, विधान सभा के चुनाव कर ही नहीं सकता। यदि कुछ लोग अपने स्तर पर ऐसी कोई कार्यवाही करते भी हैं तो वह पूर्णतः प्रभाव शून्य व निरर्थक होती हैं। हां, कुछ राजनीतिक दल इसे सत्ता पक्ष व चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगाने के लिए प्रचारित आवश्य कर सकते हैं।

कल्पना कीजिए कि 2,4,5 गांवों के लोग अपने क्षेत्र के थाने के क्रियाकलापों से 100 प्रतिशत असंतुष्ट है क्योंकि वहां अपराध करने वाले थाने के स्टाफ से मिले हुए है और हर प्रकार के अपराध बेलगाम करते आ रहे है। क्या इस का विकल्प गांववासियों द्वारा बिना कानून के समानांतर थान स्थापित करना है?? ऐसा दूसरे सरकारी कार्यालयों के लिए भी हो सकता है। इससे तो पूर्णतः अराजकता की स्थिति ही उत्तपन्न होती है। इसलिए ऐसे विकल्प सही नहीं ठहराए जा सकते।

इसका अर्थ यह भी नही हो सकता कि मतदान प्रक्रियों के सम्बंध में सवाल खड़े ही नही जाएं। इसके लिए उचित वैधानिक प्लेटफार्म्स का उपयोग हो अथवा जन आंदोलन से ध्यानाकर्षण होना चाहिए।

यह सही है कि मतदान केंद्रों पर मतदान व्यवस्था अत्यंत कुशलता पूर्वक व पारदर्शी तरीक़े से जरूर की जाती है किन्तु जन मानस में निर्वाचन आयोग की विश्वस्नीयत पर वह विश्वास नहीं रहा जो शेषन व उनके पश्चातवर्ती कई मुख्य चुनाव आयुक्तों के समय था। इसके लिए आयोग व समय समय पर रही सरकारें दोनों ही जिम्मेदार हैं।

विभिन्न चुनावों की घोषणाओं के समय के पूर्व से यह साफ दिखाई देने लगता है कि चुनाव आयोग मतदान कार्यक्रम घोषित करने के आसपास की समयावधि में, सत्ताधारी दल को इतना अधिक समय देता है जिसमें वह ताबड़तोड़ पुराने प्रोजेक्ट्स को तीव्र गति से पूर्ण कर, उनका उद्घाटन कर सके, नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा-शिलान्यास आदि कर सके और सरकारी खर्चों पर इन कार्य के लिए बड़ी रैलियां आयोजित कर, चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही अपना चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारम्भ कर सके।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उस समय अवश्य अंगुली उठेगी जब वह कई बड़े नेताओं द्वारा अचार संहिता के सरासर उल्लंघन वाले और संविधान भावन के पूर्णतः विपरीत भाषण देते है और चुनाव आयोग उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के बजाए उनके राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगता है।

चुनाव आयोग की साख पर सवाल तो उठेंगे यदि डिजिटल युग में, ईवीएम से मतदान के बाद, मतदान केंद्रों पर कुल मतदान के आंकडे कई दिनों बाद तक कई बार रिवाइज किए जाएंगे।

चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति केवल व केवल सरकार की इच्छानुसार होगी तो आयोग की साख पर अंगुली तो उठ सकती है।

वैसे चुनावों में धांधली के आरोप कोई नई बात नहीं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रचंड विजय पर भी यह कह कर संदेह उत्तपन्न किया गया था कि बैलेट पेपर रूस से आया है और विपक्षियों के पक्ष में पड़े मतों में से कुछ पर निसान स्वतः समाप्त हो जाता है किंतु आरोप कुछ ज्यादा बचकाना था, इसलिए आम जनता नें इसे माना नहीं। बूथ कैप्चरिंग, कमजोर वर्गों को मतदान नहीं करने देने के आम आरोप तो प्रायः हर चुनाव के बाद लगते ही थे।

जन मानस में निर्वाचन आयोग की साख उच्चतम स्तर की हो इसकी सर्प्रथम जिम्मेदारी तो आयोग की ही है। आयोग चाहे तो किसी राजनीतिक दल की हिम्मत तक नही हो सकती कि वह गैरवाजिब बातें आयोग से मनवा सके। इसके बाद सरकार व राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। वे अनावश्यक आरोप नही लगाएं और सरकारें अपनी मर्जी के निर्णयों के लिए कोई हस्तक्षेप न करे।

–महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस

करौली में 26 परीक्षा केंद्रों पर हुई रीट परीक्षा

करौली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 जिले के 26 परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को दो पारियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं परीक्षा का अंतिम चरण आज शुक्रवार को आयोजित होगा। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कडे इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक पांच परीक्षा केंद्रों पर एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी और पुलिस व प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया था।

रीट परीक्षा के पहले सत्र में कुल 11,016 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे जिनमें से 10,377 उपस्थित रहे जबकि 639 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं, दूसरी पारी में 10,712 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 10,303 ने परीक्षा दी, जबकि 409 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक इंद्रेश तिवाड़ी ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर कडी निगरानी रखी गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

एनसीआर से भरतपुर को बाहर निकालने की जरूरत : डॉ. सुभाष गर्ग

भरतपुर (निस)। स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने विधान सभा में भरतपुर के औद्योगिक विकास के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए बल्कि राज्य स्तर की कई समस्याओं की ओर भी भजन लाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया। भरतपुर क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों में यमुना का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आरबीएम अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं समेत कई मामले शामिल हैं। बजट बहस में सम्मिलित होते हुए डॉ. सुभाष गर्ग ने सबसे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि भरतपुर क्षेत्र के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भरतपुर संभाग मुख्यालय होने के बावजूद विश्वविद्यालय के लिए तरस रहा है। यह उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थान होने चाहिए, वे वहां नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। इससे उनके परिजनों पर आर्थिक भार भी बढता है। डॉ. गर्ग ने सदन को बताया कि एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) और टीटीजेड में होने की वजह से वहां नई इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रही हैं। जो पुरानी इंडस्ट्रीज वहां है, वे भी बंद हो गई हैं। इसलिए अब यहां सबसे ज्यादा जरूरत तकनीकी संस्थानों की है। भरतपुर में आईटी हब बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही यहां स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक हब बनाए जाने की जरूरत है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा हो सकें। डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर की सबसे पुरानी और बड़ी समस्या है यमुना का पानी। उन्होंने कहा कि साल 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल समझौता हुआ था। इसके तहत डीग और भरतपुर जिलों को यमुना से 1281 क्यूसेक पानी मिलना था। लेकिन, दुर्भाग्य से अभी 800 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। करीब 400-450 क्यूसेक पानी भरतपुर-डीग को उनके हिस्से का मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा से कोई सहमति आनी थी। वह अभी तक नहीं आई है। जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही हरियाणा से बात करके चूरू-झुंझुनूं के लिए जल समझौता किया है और उसके तहत उन्हें ताजेवाला हैड से पानी मिलना तय हुआ है। उसी तरह डीग और भरतपुर जिलों को भी ओखला हैड से पूरा पानी मिलना चाहिए। डॉ. सुभाष गर्ग ने सदन में भरतपुर की मांगें रखते हुए कहा कि पिछली बजट घोषणाओं के तहत आरबीएम अस्पताल में जल्द ही 10 सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं जल्द शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ ही ऊंदरा, बरसो, गामरी समेत अन्य जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए। हालांकि हाल ही बजट में भरतपुर के लिए 2 ठिाड सब स्टेशनों की घोषणा की गई है। लेकिन, जाटोली रथभान में भी एक जीएसएस मंजूर किया जाना चाहिए। उनके गांव पीपला में अस्थाई पुलिस चौकी खोली गई थी, जिसे स्थाई करते हुए भवन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य नगरीय निकायों और पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पेंशन संबंधी मुद्दा उठाते हुए डॉ. गर्ग ने सरकार से आठाह किया कि शिक्षकों की मांग सुनी इसी तरह हाल ही में विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम कुलगुरू किया गया है।

हिण्डौन में बादल छाए, हल्की बारिश के आसार

हिंडौन सिटी। क्षेत्र में गुरुवार को मौसम में ठंडक बनी हुई है। बादल छाने के साथ हल्की ठंडी हवाओं का दौर जारी है। तापमान में आई गिरावट से मौसम का मिजाज बदल गया है। मध्य सप्ताह में 30 डिठाी तक पहुंचा तापमान अब दो डिठाी नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम में आए इस बदलाव से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में खड़ी सरसों की फसल को लेकर किसान चिंतित हैं। हालांकि, गेहूं की फसल के लिए यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है। क्षेत्रवासियों के पहनावे और खानपान में भी बदलाव देखा जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग अभी भी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। बुधवार को भी क्षेत्र में बादल छाए रहे और सर्द हवाओं से ठिठुरन महसूस हुई। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में नए विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। आगामी एक सप्ताह तक तापमान 27-28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

अजमेर जिला कलक्टर लोक बन्धु ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

अजमेर (कासं)। जिला कलक्टर लोक बन्धु द्वारा गुरूवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर अध्यापक पात्राता परीक्षा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नोडल परीक्षा वंदना खोरवाल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा गुरूवार एवं शुक्रवार को अध्यापक पात्राता परीक्षा (रीट) 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर लोक बन्धु द्वारा गुरुवार को निर्धारित परीक्षा केंद्रों में से राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय,

■ अध्यापक पात्राता परीक्षा (रीट)-2024

सेंट फ्रांसिस सीनियर सैकण्डरी स्कूल एवं सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। यहां पर नियमानुसार सुरक्षा एवं परीक्षार्थियों की लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। दिव्यांग अभ्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निर्धारित सुविधाएं जांची गई।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा परीक्षा से जुड़े कार्मिकों एवं अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के निर्देशानुसार परीक्षाएं संपादित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की गई। परीक्षा की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए परीक्षा का सुचिता के साथ सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया।

राशिफल शुक्रवार 28 फरवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, शतभिषा नक्षत्र दिन 1:40 तक, सिद्ध योग रात्रि 8:07 तक, किस्तुघ्न करण प्रातः 8:35 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रातः 5:58 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग दिन 1:40 से रात्रि 3:17 तक है। आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:22 तक, लाभ-अमृत 8:22 से 11:14 तक, शुभ 12:40 से 11:14 तक, चर 4:57 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:56, सूर्यास्त 6:23

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। यात्रा शुभ नहीं रहेगी।

सिंह

परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या

आर्थिक मामलों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में समय व्यतीत होगा। व्यावसायिक योजना बनेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं बढ़ेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक विवादों से राहत मिलेगी।

कुंभ

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।